अध्याय V: संवीक्षा निर्धारण के दौरान अवास्तविक मांग

5.1 प्रस्तावना

सरकार के राजस्व स्रोत में उधार, कॉर्पोरेशन कर, आय कर, सीमा-उत्पाद शुल्क, सेवा कर, गैर- कर राजस्व, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। कॉर्पोरेशन और आय कर मिलकर सरकारी राजस्व का 33 *प्रतिशत* होता है। वार्षिक बजट प्रक्रिया में राजस्व संग्रहण का महत्व देखते हुए, यह अति महत्वपूर्ण है कि राजस्व संग्रहण रिपोर्टिंग वास्तविक आंकडों पर आधारित होनी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए, मुंबई क्षेत्र के प्र. मुख्य कमिश्नर का कुल कर संग्रहण ₹ 2,48,061 करोड़ था जबकि कॉर्पोरेट कर संग्रहण ₹ 1,45,708.30 करोड़ था। नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि नि.अ. ने निर्धारिती को पूर्व-अदा किये गये कर (अर्थात अग्रिम कर और स्रोत पर छूट प्राप्त कर) की पूरी राशि का क्रेडिट अनुमत नहीं किया और धारा 234बी 234सी के अंतर्गत ब्याज की अधिक राशि उदग्रहीत की जिसके परिणामस्वरूप अवास्तविक मांग की गई जिसका संग्रहण किया गया। परिणामस्वरूप, नि.व. 2015-16 के दौरान ₹ 14,185.74 करोड़ का बढ़ा हुआ राजस्व संग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित कुछ मामले पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

5.2 अग्रिम कर भुगतान का कम क्रेडिट

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 207 के अनुशीलन में धारा 208 से 209 के प्रावधान के अनुसार अग्रिम कर के भुगतान का प्रावधान करती है। नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पांच मामलों (तालिका 5.1) में पाया कि विभाग द्वारा निर्धारित अग्रिम कर का कम भुगतान पर धारा 234बी के अंतर्गत अग्रिम कर और ब्याज उदग्रहण कर का कम क्रेडिट देकर गलत मांग की गई थी।

तालिका 5.1: पूर्ण-भुगतान कर हेतु क्रेडिट न दिये वाले मामले					(₹ करोड़ में)
क्रम सं.	**निर्धारिती का नाम, नि.व.**	**प्रभार**	**संवीक्षा की तिथि/अपील प्रभावित आदेश**	**सुधार/प्रतिदाय आदेश की तिथि (प्रतिदाय की राशि**	**पाई गई अनियमितताएं**
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2014-15	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	30.03.2016	31.03.2016 (9,407.69)	कुल अग्रिम कर हेतु क्रेडिट नहीं दिया गया था और धारा/234बी के अंतर्गत अधिक ब्याज उदग्रहीत किया गया था।
2	बैंक ऑफ बड़ौदा 2014-15	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	21.03.2016	12.04.2016 (1,572.09)	कुल अग्रिम कर हेतु क्रेडिट नहीं दिया गया था
3	बैंक ऑफ इंडिया, 2014-15	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	29.3.2016	31.3.2016 (584.0) 18.4.2016 (452.0)	₹ 1,170 करोड़ के अग्रिम कर का क्रेडिट नहीं दिया गया था।
4	आईडीबीआई बैंक लि., 2009-10	प्र. सीआईटी, एलटीयू मुम्बई	22.3.2016	31.3.2016 (100.50)	अपील प्रभाव आदेश गलती से तैयार किया गया और अग्रिम कर का क्रेडिट कम दिया गया था।
5	डीएचएल एक्सप्रैस (इंडिया) प्रा. लि., 2012-13	प्र. सीआईटी 9, मुम्बई	30.03.2016	07.07.2016 (10.48)	₹ 25.12 करोड़ का टीडीएस क्रेडिट नहीं दिया गया।

कुछ मुख्य मामले नीचे उजागर किये गये हैं:

5.2.1 प्र. सीआईटी-II मुंबई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2014-15 हेतु **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** का संवीक्षा निर्धारण ₹ 17389.58 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए 30 मार्च 2015 को पूरा किया। हमने देखा कि ₹ 4,908 करोड़ के भुगतान किये गये अग्रिम कर के प्रति केवल ₹ 1,202 करोड़ के अग्रिम कर का क्रेडिट दिया गया था। हमने देखा कि ₹ 5,853.63 करोड़ का ब्याज 24 महीने हेतु धारा 234बी के अंतर्गत उदग्रहीत किया गया था जो एक *प्रतिशत* प्रति माह के प्रति 5.75 *प्रतिशत* प्रति माह तक आंका जाता है। परिणामस्वरूप, ₹ 10,109.37 करोड़ की अवास्तविक मांग की गई थी। संबद्ध रूप से, एक और, निर्धारिती द्वारा स्वयं 30 मार्च 2016 को मांग अदा की गई थी और दूसरी ओर, निर्धारिती ने अदा किये गये अग्रिम कर का पूर्ण क्रेडिट लेते हुए उक्त तिथि अर्थात 30 मार्च 2016 को त्रुटि के सुधार के लिए आवेदन किया था। ₹ 4,908 करोड़ के अग्रिम कर का कुल क्रेडिट के और अनुमति के पश्चात

₹ 9,407.69 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारित करते हुए अगले दिन अर्थात 31 मार्च 2016 को सुधार आदेश पास किया और 30.03.2016 को नियमित निर्धारण कर अदा किया। यद्यपि प्रतिदाय आदेश उक्त दिन आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 31 मार्च 2016 को ही जारी कर दिया गया था, वास्तविक प्रतिदाय 2 अप्रैल 2016 अर्थात अगले वित्तीय वर्ष को हस्तांतरित किया गया।

27 मार्च 2015 को समाप्त निर्धारण वर्ष 2013-14 के संवीक्षा निर्धारण आदेश में इसी प्रकार की चूक हुई थी, जिसमें ₹ 6,144 करोड़ की सम्पूर्ण राशि के स्थान पर ₹ 1,173 करोड़ के अग्रिम कर का क्रेडिट देकर ₹ 7,094.32 की मांग की गई थी। इस मामलें में भी निर्धारती ने मांग का तुरन्त भुगतान किया था। चूक 31 मार्च 2015 को धारा 154 के तरह परिशोधित की गई थी और ₹ 6,771.11 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारित किया गया था।

5.2.2 प्र. सीआईटी मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए बैंक ऑफ बडौदा का संवीक्षा निर्धारण ₹ 5,045.33 करोड़ की आय निर्धारित कर 21 मार्च 2016 को पूर्ण किया गया था। हमने देखा कि ₹ 1,890 करोड़ के भुगतान किये गये अग्रिम कर के प्रति, नि.अ. ने केवल ₹ 595 करोड़ का क्रेडिट दिया था। कम अग्रिम कर मानने के परिणामस्वरूप ₹ 501.68 करोड़ के वास्तविक प्रतिदाय के प्रति, धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 203.29 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 1067.29 करोड़ की गैर-विद्यमान मांग का सृजन हुआ। निर्धारती ने 28 मार्च, 2016 को ₹ 1067.29 करोड़ की मांग का भुगतान किया, और अगले ही दिन अर्थात 29 मार्च 2016 को यह इंगित करते हुए कि अग्रिम कर का क्रेडिट उचित ढ़ंग से नहीं दिया गया था, परिशोधन के लिए आवेदन किया। हमने देखा कि विभाग द्वारा परिशोधन आदेश 12 अप्रैल 2016 (अर्थात आगामी वित्तीय वर्ष में) को पास किया गया था और ₹ 1572.09 करोड़ का प्रतिदाय 26 अप्रैल 2016 को जारी किया गया था, जिसमें धारा 244ए के तहत ₹ 56.85 करोड़ का ब्याज शामिल किया गया था जिसे कम किया जा सकता था यदि पूर्व-भुगतान किये गये करों के लिए सम्पूर्ण क्रेडिट वास्तविक निर्धारण के दौरान दिया गया होता।

5.3 धारा 234बी/234सी के तहत ब्याज का उदग्रहण करके प्रतिदाय को रोकना

अधिनियम की धारा 234बी एक *प्रतिशत* की दर पर साधारण ब्याज के उदग्रहण का प्रावधान करती है यदि प्रदत्त कर निर्धारित अग्रिम कर के 90 *प्रतिशत* से कम है।

अधिनियम की धारा 234सी विनिर्दिष्ट देय तिथियों पर अग्रिम कर किस्त के भुगतान के आस्थगन के लिए एक *प्रतिशत* की दर पर साधारण ब्याज के भुगतान के उदग्रहण का प्रॉवधान करती है।

नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि निम्नलिखित 13 मामले (तालिका 5.2) जिनमें निर्धारितियों को प्रतिदाय जारी नहीं किये गये थे क्योंकि धारा 234बी एवं 234सी के तहत अनुचित ब्याज का उदग्रहण किया गया था। 'निर्धारण सूचना प्रणाली' (एएसटी) में विपरीत समायोजन करके तथा प्रतिदाय के राशि की सीमा तक धारा 234बी/234सी के तहत ब्याज के उदग्रहण द्वारा प्रतिदाय को रोकने की पद्धति को अपनाया गया था।

तालिका 5.2: ऐसे मामले जहां धारा 234बी एवं 234सी के तहत ब्याज के उदग्रहण द्वारा प्रतिदाय का समायोजन किया गया था। **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	**निर्धारिती का नाम नि.व**	**प्रभार**	**संवीक्षा की तिथि (रोका गया प्रतिदाय)**	**सुधार आदेश की तिथि (राशि वापस की गई)**	**ब्याज की राशि का भुगतान**
1	हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुंम्बई	25.02.2016 (181.91)	21.04.2016 (213.65)	32.59
2	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 2012-13	प्र. सीआईटी 2, मुंम्बई	23.03.2016 (23.46)	12.07.2016 (29.33)	5.87
3	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 2, मुंम्बई	28.03.2016 (25.5)	सुधार आदेश अभी पास किया जाना है	--
4	हेवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (आई) प्राइवेट लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 2, मुंम्बई	29.03.2016 (20.14)	28.09.2016 (24.18)	4.03
5	बीएसई लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 2, मुंम्बई	29.01.2016 (17.82)	20.05.2016 (21.33)	3.40
6	एयर इंडिया लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 5, मुंम्बई	23.03.2016 (31.29)	28.07.2016 (40.49)	6.32
7	बिड़ला सनलाइफ एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 6, मुंम्बई	18.03.2016 (11.25)	08.11.2016 (13.72)	2.47
8	ड्राइव इंडिया एंटरप्राइजेज सॉल्यूशंस लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 9, मुंम्बई	29.03.2016 (18.26)	31.03.2017 (21.49)	3.36

9	मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 14, मुंम्बई	31.03.2016 (12.98)	24.06.2016 (15.45)	0.13
10	क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 14, मुंम्बई	15.02.2016 (32.69)	13.04.2016 (38.58)	5.88
11	कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, 2013-14	प्र. सीआईटी 14, मुंम्बई	28.03.2016 (10.95)	09.05.2016 (13.03)	2.08
12	लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, 2012-13	प्र. सीआईटी 14, मुंम्बई	31.03.2016 (7.79)	11.05.2016 (10.32)	2.06
13	जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुंम्बई	18.03.2016 (167.77)	04.04.2016 (167.77)	शून्य

हमने नीचे तीन दृष्टान्त मामले दिये है:

5.3.1 प्र. सीआईटी एलटीयू मुम्बई प्रभार में, आवास विकास वित्त निगम लि. के मामले में वर्ष 2013-14 के लिए संवीक्षा निर्धारण फरवरी 2016 में पूरा किया गया था। हमने देखा कि निर्धारिती ने ₹ 1,738.99 करोड़ के भुगतान योग्य कर के प्रति ₹ 1,920.90 करोड़ का पूर्व- भुगतान किया था। इस प्रकार, निर्धारिती ₹ 181.91 करोड़ के प्रतिदाय का हकदार था। तथापि, धारा 234बी के तहत ₹ 181.91 करोड़ के ब्याज के गलत उदग्रहण द्वारा प्रतिदाय रोका गया था। विभाग द्वारा 21 अप्रैल 2016 को आगामी वित्तीय वर्ष में चूक को परिशोधित किया गया था, जब पूर्व में धारा 234बी के तहत लगाया गया ब्याज को वापस लिया गया था और धारा 244ए के तहत ₹ 32.59 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 213.65 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारिती को जारी किया गया था।

5.3.2 प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई प्रभार में, **जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम** के निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 8,703.34 करोड़ की आय का निर्धारण 18 मार्च 2016 को पूरा किया गया। हमने देखा कि निर्धारिती द्वारा ₹ 2,823.80 करोड़ की कर देयता के प्रति ₹ 2991.57 करोड़ के अग्रिम कर का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, निर्धारिती ₹ 167.77 करोड़ के प्रतिदाय का हकदार था। तथापि, प्रतिदाय जारी नहीं किया गया था क्योंकि धारा 234सी के तहत ₹ 167.77 करोड़ का अनुचित ब्याज उदग्रहीत किया गया था। विभाग ने 04 अप्रैल 2016 अर्थात् अगामी वित्तीय वर्ष में चूक का परिशोधन किया और निर्धारिती को ₹ 167.77 करोड़ का प्रतिदाय जारी किया था।

5.3.3 प्र. सीआईटी, मुम्बई प्रभार में **महानगर स्टॉक एक्सचेंज लि.** के निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1.86 करोड़ का कर निर्धारित कर 31 मार्च 2016 को निर्धारण पूरा किया गया जिसके विरूद्ध निर्धारिती ने टीडीएस के रूप में ₹ 14.84 करोड़ के कर का पूर्व भुगतान किया था। तथापि, चूंकि धारा 234बी के तहत ₹ 12.98 करोड़ का ब्याज गलत ढ़ग से लगाया गया था, इसलिए निर्धारिती को कोई प्रतिदाय जारी नहीं किया गया था। 24 जून 2016 को चूक का सुधार किया गया था (अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष में) और धारा 244ए के तहत अप्रैल 2013 से जून 2016 की अवधि के लिए ₹ 2.47 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 15.45 का प्रतिदाय जारी किया गया था। इस प्रकार, संवीक्षा निर्धारण चरण पर धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज के गलत उदग्रहण के परिणामस्वरूप अतिरंजित राजस्व संग्रह और धारा 244ए के तहत ब्याज के रूप में ₹ 12.98 लाख के अतिरिक्त ब्याज का व्यय हुआ।

उत्तर में विभाग ने बताया कि ई-टीडीएस डेटा बेस में 2,591 प्रविष्टियां थी तथा धारा 143(3) के तहत आदेश पारित करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2016 थी, आयकर विभाग का सर्वर ठीक से कार्य नहीं कर रहा था, इसलिये टीडीएस का क्रेडिट दिये बिना आदेश पारित कर दिया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने ₹ 14.84 करोड़ के टीडीएस की सम्पूर्ण राशि के लिए क्रेडिट दिया था। जब उपलब्ध कर क्रेडिट कर से अधिक था तब विभाग ने धारा 234बी के तहत ब्याज की उद्ग्रहण पर कोई उत्तर नहीं दिया।

5.4 अन्य आपत्तियां

5.4.1 प्र. सीआईटी एलटीयू मुम्बई प्रभार में **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** के निर्धारण वर्ष 1991-92 के मामले में, ₹ 752.06 करोड़ की मांग निर्धारित कर जिसका 31 मार्च 2016 तक निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया था, अपील आदेश (आईटीएटी) का प्रभाव 21 मार्च 2016 को दिया गया था। हमने देखा कि ₹ 105.78 करोड़ की वास्तविक राशि के बजाय, पहले जारी प्रतिदाय के संबंध में ₹ 872.27 करोड़ की गलत उद्ग्रहण के कारण मांग सृजित की गई थी। निर्धारिती ने 31 मार्च 2016 को चूक के सुधार के लिए आवेदन दिया था, जिस तिथि पर मांग का भुगतान किया गया था। विभाग के द्वारा 01 अप्रैल 2016 को चूक का सुधार किया गया (आगामी वित्तीय वर्ष में) और अप्रैल 2016 के महीने के लिए ₹ 3.57 करोड़ के धारा 244ए के तहत ब्याज

सहित ₹ 762.48 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारिती को जारी किया गया चूंकि यह धारा 244ए के तहत महीने के भाग के लिए भी पूरी तरह देय है।

5.5 निष्कर्ष

जैसी ऊपर चर्चा की गई, लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण देखे गये जहां आईटीडी ने अनुचित तरीकों, जैसे निर्धारण में पूर्व-भुगतान किये गये करों के सम्पूर्ण क्रेडिट की अनुमति नहीं देना, अनुचित मांगो के तहत धारा 234बी एवं 234सी के तहत ब्याज की उद्ग्रहण आदि का सहारा लेकर अपना राजस्व संग्रहण लक्ष्य हासिल करने के लिए अतिरंजित मांगे की गई थी। अंत में धारा 244ए के तहत ब्याज के साथ आगामी वित्तीय वर्ष में संग्रहीत बढ़ी हुई मांगे विभाग द्वारा वापस की गई थीं। यह वास्तव में प्रतिदायों पर भुगतान किये गये परिहार्य ब्याज के रूप में राजकोष पर भारी बोझ डालता है।